राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 14/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – पंजाब नेशनल बैंक, मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन, सब सिटी सेन्टर, रेती स्टैण्ड, उदयपुर

—— प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स श्रीनाथ मिनकेम गायत्री नगर, गंगापुर, तहसील गंगापुर जिला भीलवाड़ा
2. श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह चौहान निवासी फलियु, सानिया हेमद, सूरत गुजरात
3. श्री कैलाश भाई तेली पुत्र बाबू भाई तेली निवासी तुलसीधाम सोसायटी, वरेली, पोस्ट कड़ोदरा तालुका पलसाना, वरेली सूरत, गुजरात

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी – श्री देवेन्द्र सिंह चुण्डावत।

निर्णय

दिनांक :21.06.2022

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन, सब सिटी सेन्टर, रेती स्टैण्ड, उदयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 59,40,000/– रूपये का ऋण दिनांक 06.06.2020 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति जो रहन रखी गयी – मैसर्स श्रीनाथ मिनकेम जरिये पार्टनर्स श्री शैलेन्द्र सिंह, कैलाश भाई तेली के नाम औद्योगिक फैक्ट्री भवन प्लॉट खसरा नं. 857/1, 858/1, 859, 80/1 (1/2 पार्ट) जो लाखोला रोड, गांव गायत्री नगर, ग्राम पंचायत गणेशपुरा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3500 वर्ग मीटर है एवं सभी प्रकार के स्टॉक और कच्चा माल, सीप एवं तैयार माल व वर्तमान एवं भविष्य प्राप्तियों का दृष्टिबंधक, प्लांट एवं मशीनरी का दृष्टिबंधक (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार)। दिनांक 30.04.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 57,38,208.86/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 31.03.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है। प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :–

आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ–पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई हैं, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार, सहाड़ा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। निर्णय की प्रति प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा